न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–56 / 2019
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–26.06.2019
निर्णय दिनांक–03.04.2024

1. कैलाशी धर्मपत्नि स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक
2. रमेश पुत्र स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. रामजीलाल पुत्र स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. हंसा पुत्री स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. पांची पुत्री स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. सुरज्ञान पुत्री स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. छोटा पुत्री स्व0 रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 298 / 1 व ख0न0 298 / 3 रकबा 04–15 बीघा वाके ग्राम रानोली, पटवार हल्का पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजी में आवेदिका संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का जो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के हक व हिस्सा अंकित है। जिसके खातेदार आवेदकगण के पति व पिता अपने जीवनकाल तक बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार के काबिज रहे है तथा उनके स्वर्गवास के बाद आवेदकगण उक्त आराजी के मालिक, स्वामी के मौके पर काबिज चले आ रहे है। यह उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का नाम मनफूल पुत्र नाथू अंकित कर रखा है। जबकि प्रार्थी के पति व पिता का नाम वास्तविक नाम रामफूल है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामफूल का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो चुका है। उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है। वह भी रामफूल पुत्र नाथू माली के नाम से बनाया गया है। इसी प्रकार आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड सभी में प्रार्थी व पति का नाम रामफूल सही रूप में अंकित हो रखा है। उक्त त्रुटी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना आवश्यक है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

आवदेकगण उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को सही करवाने के लिए पटवारी हल्का व संबंधित राजस्व कर्मचारियो के कई बार चक्कर लगा चुका है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण के पति व पिता का नाम दुरूस्त नहीं करने के कारण यह आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 298/1 व 298/3 में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रामफूल पुत्र नाथू अंकित करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रानोली में स्थित भूमि आराजी ख0न0 298/1 रकबा 04–15 बीघा एवं ख0न0 298/3 रकबा 00–02 बीघा में प्रार्थी के पति मनफूल पुत्र नाथू जाति माली के हिस्सा अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। खाता संख्या 511 व 512 में मनफूल पुत्र नाथू जाति माली के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जो जरिये विरासत नामान्तकरण गलत दर्ज हुआ है। जो लगातार चला आ रहा है। उक्त खातो में मनफूल पुत्र नाथू जाति माली गलत दर्ज है। जो पूर्व से चला आ रहा है। इस बाबत् नामान्तकरण संख्या 3171 की प्रतिलिपी साथ में संलग्न है। उक्त खाते में खातेदार का नामा मनफूल पुत्र नाथू दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामफूल पुत्र नाथू जाति माली है। जिस बाबत् आधार कार्ड संख्या 822290862562 व राशनकार्ड संख्या 009267000365 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में रामफूल पुत्र नाथू के नाम से है। खाता संख्या 511 व 512 में मनफूल पुत्र नाथू जाति माली दर्ज है। जो गलत है। मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मृत्युप्रमाण पत्र के अनुसार सही नाम रामफूल पुत्र नाथू कोम माली है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 298/1 व ख0न0 298/3 रकबा 04–15 बीघा वाके ग्राम रानोली, पटवार हल्का पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजी में आवेदिका संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का जो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के हक व हिस्सा अंकित है। जिसके खातेदार आवेदकगण के पति व पिता अपने जीवनकाल तक बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार के काबिज रहे है तथा उनके स्वर्गवास के बाद आवेदकगण उक्त आराजी के मालिक, स्वामी के मौके पर काबिज चले आ रहे है। यह उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का नाम मनफूल पुत्र नाथू अंकित कर रखा है। जबकि प्रार्थी के पति व पिता का नाम वास्तविक नाम रामफूल है। प्रार्थीगण के पिता व पति रामफूल का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो चुका है। उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है। वह भी रामफूल पुत्र नाथू माली के नाम से बनाया गया है। इसी प्रकार आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड सभी में प्रार्थी व पति का नाम रामफूल सही रूप में अंकित हो रखा है। उक्त त्रुटी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना आवश्यक है। आवदेकगण उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को सही करवाने के लिए पटवारी हल्का व संबंधित राजस्व कर्मचारियो के कई बार चक्कर लगा चुका है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण के पति व पिता का नाम दुरूस्त नहीं करने के कारण यह आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 298/1

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

व 298/3 में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रामफूल पुत्र नाथू दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम रानोली में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 298/1 रकबा 04-15 बीघा एवं ख0न0 298/3 रकबा 00-02 बीघा में प्रार्थी के पति मनफूल पुत्र नाथू जाति माली के हिस्सा अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। खाता संख्या 511 व 512 में मनफूल पुत्र नाथू जाति माली के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जो जरिये विरासत नामान्तकरण गलत दर्ज हुआ है। जो लगातार चला आ रहा है। उक्त खातो में मनफूल पुत्र नाथू जाति माली गलत दर्ज है। जो पूर्व से चला आ रहा है। इस बाबत् नामान्तकरण संख्या 3171 की प्रतिलिपी साथ में संलग्न है। उक्त खाते में खातेदार का नामा मनफूल पुत्र नाथू दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामफूल पुत्र नाथू जाति माली है। जिस बाबत् आधार कार्ड संख्या 822290862562 व राशनकार्ड संख्या 009267000365 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में रामफूल पुत्र नाथू के नाम से है। खाता संख्या 511 व 512 में मनफूल पुत्र नाथू जाति माली दर्ज है। जो गलत है। मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मृत्युप्रमाण पत्र के अनुसार सही नाम रामफूल पुत्र नाथू कोम माली है।

सरपंच ग्राम पंचायत रानोली दिनांक 12.10.2019 के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार प्रमाणित किया गया है की रामफूल उर्फ मनफूल पुत्र नाथू जाति माली निवासी ग्राम रानोली का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। इसे दोनो ही नामो से जाना पहचाना जाता है। यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 12.06.2019 को जारी किया जाता है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा मृत्यु प्रमाण पत्र रामफूल पुत्र नाथू, प्रार्थीगण के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्तक स्व. श्री रामफूल का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत रानोली का प्रमाण पत्र, तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट, शपथ पत्र राजाराम पुत्र बीजाराम जाति माली निवासी ग्राम रानोली, तह0 पीपलू, ग्यारसी पुत्र बीजाराम जाति माली निवासी ग्राम रानोली व रमेश पुत्र रामफूल जाति माली निवासी ग्राम रानोली तह0 पीपलू का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीया संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का सही नाम रामफूल पुत्र नाथू जाति माली है। जबकि भूमि आराजी ख0न0 298/1 रकबा 04-15 बीघा एवं ख0न0 298/3 रकबा 00-02 बीघा वाके ग्राम रानोली, पटवार हल्का रानोली में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का नाम मनफूल पुत्र नाथू जाति माली दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है, **अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 के पति व अप्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पिता का नाम मनफूल पुत्र नाथू जाति माली के स्थान पर प्रार्थीगण के पति व पिता का शुद्ध नाम रामफूल पुत्र नाथू दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।** निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner